

- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एउआईसीटीआई/पीआईआई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निपटानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार
सोनकर)

सचिव

दिनांक:
09/08/2021

पुं०सं०- प्राशिष/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

ब्रीफिंग:-

प्राधानाकार्य/निदेशक: RUMA INSTITUTE OF PHARMACY, GOBRI JAGESHARGANJ STATION ROAD, PRATAPGARH-230502


(सुनील कुमार
सोनकर)

सचिव

9/14/22, 1:29 AM

पृ.सं.- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, RUMA INSTITUTE OF PHARMACY

Phan

(एफ0आर0 खान)

सचिव

कार्यालय,**राष्ट्रीय, प्राथमिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश, लखनऊ।****संख्या:- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001****लखनऊ दिनांक: 12-09-2023****:-कार्यालय द्वारा:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं कार्मेली काउन्सिल ऑफ़ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्ण से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरांत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मेली काउन्सिल ऑफ़ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा संचाल्यो को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा तैय्य कर निर्णय के अनुक्रम में संस्थानों को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में तैय्य गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4112-RUMA INSTITUTE OF PHARMACY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए० आई० सी० टी० आई० पी० सी० आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राथमिक शिक्षा, अनुसूच्य-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-30999/2022 टी०सी०.1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्ण से संचालित सार्वजनिक संस्थानों की शर्त के विरुद्ध सार्वजनिक न्यायालय में खेदिल रिट प्रथिका संख्या 5077/2023 में सार्वजनिक न्यायालय के अधीन निर्णय के अधीन सम्बद्धता निरस्त की जाती है।
- ✓ संस्थान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मेली काउन्सिल ऑफ़ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की शर्तें सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मेली काउन्सिल ऑफ़ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली के शासन के अनुक्रम संस्थान में समस्त संस्थान (पुष्पि, प्रवेश, लेब उपकरण) अदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एन० 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली 2000, सेक्टर विनियमवली 2016 तथा संचाल्य शासन पत्र निम्न संस्था/संस्थानों का अनुमोदन करने की शर्त सुकृण निर्णय समिति द्वारा निर्धारित सुकृण ही प्रतिक्रिया प्राप्त करने से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अधीनलिखित शर्तों/शर्तों में सुकृण

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, RUMA INSTITUTE OF PHARMACY



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव